राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1065, 1066, 1067 एवं 1068 / 2017.....जिला.....जयपुर.....

मैसर्स विमल किराना स्टोर, दुकान नं.13 खातीपुरा रोड़, जयपुर बनाम् (1) अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–आई ,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

श्री के.एल.जैन,सदस्य

27.07.2017

यह चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी,प्रथम, वाणिज्यिक कर , जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पृथक–पृथक पारित आदेश दिनांक 22.06.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 18(3)25,55,60,61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध अधिनियम की धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। चारों अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया गया। चारों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

कर बोर्ड की अ.सं.	कर निर्धारण वर्ष	क.नि.अ. आदेश दिनांक	निर्धा.अधि.द्वारा कायम मांग राशि	अपीलार्थी द्वारा चाहा गया स्थगन
1065 / 17	2011–12	–	3302809 / –	3242109 / –
1066 / 17	2012–13	–	7574142 / –	7436442 / –
1067 / 17	2013–14	–	847042 / –	832142 / –
1068 / 17	2014–115	–	367372 / –	360172 / –

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री रमेश चन्द गुप्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी एक रिटेल व्यवसायी है उसके द्वारा दिन भर में की गयी बिक्री का विक्रय राशि और कर राशि में विभाजन कर, लेखांकन किया जाता है बिकी विवरण प्रपत्रों में समस्त खरीद बिकी संव्यवहारों को घोषित किया जाता है, जिन्हें स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधियों का मूल कर निर्धारण पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा ग्राहक को बिकीत माल पर संग्रहित कर राजकोष में जमा करा दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा तम्बाकू उत्पाद की खरीद पर चुकाये गये कर का आईटीसी लिया गया और उसकी बिकी पर कर वसूल किया गया। वसूल किये गये समस्त कर राशि को राजकोष में जमा करवा दिया गया था, उसके द्वारा किसी प्रकार की करवंचना नहीं की है। उनका निवेदन था कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी के वर्ष 2011–12 से 2014–15 में कर शास्ति व ब्याज का आरोपण किया है वह अविधिक है। अपीलीय अधिकारी ने भी करारोपण को उचित मानते हुए, अपीलार्थी की अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों को खारिज करने में विधिक भूल की है। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 1. M/S SHALEJA UDYOG, KHERRAL (ALWAR) vs CTO, ANTI-EVASION, ALWAR (APPEAL NO. 685/2010/ALWAR) DATE OF ORDER 11-09-2013 (SBTB)

लागतार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1065, 1066, 1067 एवं 1068 / 2017.....जिला.....जयपुर.....

मैसर्स विमल किराना स्टोर, दुकान नं.13 खातीपुरा रोड़, जयपुर बनाम् (1) अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–आई ,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	– 2 –	
27 / 07 / 2017	2. M/S WIPRO LIMITED vs STATE OF KARNATAKA [2009] 26 VST 1) (KARNATAKA HIGH COURT) 3. M/S THE STATE OF TAMILNADU vs SASMAN AND COMPANY [1982 STC PAGE 160] (MADRAS HIGH COURT) 4. M/S SUBHASH IRON AND STEEL ROLLING INDUSTRIES vs THE STATE OF GUJRAT [1982 STC VOL.50 PAGE 305] 5. M/S HINDUSTAN STEEL LIMITED vs THE STATE OF ORISA 25 STC PAGE 211 (SC) प्रस्तुत कर मांग राशि के संबंध में प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने अपीलीय आदेशों दिनांक 22.06.2017 का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली की रोक पर प्रस्तुत चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। विचाराधीन प्रकरणों में मुख्य विवाद अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा विक्रय किये गये तम्बाकू उत्पाद के सम्बन्ध में है, जिस पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F-12(25)FD/Tax/2005-172 दिनांक 31.03.2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.03. 2011 के द्वारा क्रयकर्ता द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करने की शर्त के साथ Tobacco and its products की बिक्री पर कर का बिन्दु First points in the series of sales निर्धारित की गई है। अपीलार्थी ने तम्बाकू उत्पाद क्रय किये जाने पर अदा किये गये कर का इनपुट टैक्स क्लेम किया है व बिक्री पर कर वसूल कर जमा कराया है। कर निर्धारण अधिकारी ने क्लेम की गई आई.टी.सी. को अस्वीकार करते हुए धारा 60(2) व 61(2)(b) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है व धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज आरोपित किया है। अपीलार्थी का अपीलों में मुख्य आधार यह है कि प्रकरणों में उसके द्वारा वसूल किये गये टैक्स को आईटीसी इनपुट टैक्स लागताार.....3	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	– 3 –	
27 / 07 / 2017	क्रेडिट प्राप्त कर अवशेष राशि जमा करवा दी है व कोई दुर्भावना नहीं रही है तथा अज्ञानतावश विक्रय पर टैक्स वसूल हो गया है। अपीलार्थी का यह आधार परीक्षण योग्य है एवं यदि शास्ति व ब्याज पर स्थगन नहीं दिया जाता है तो अपीलार्थी को अधिक असुविधा होगी जिससे सुविधा का संतुलन व महत्त्वपूर्ण क्षति का मामला भी अपीलार्थी के पक्ष में बनता है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाकर, अपीलार्थी की अपीलें आंशिक स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति व ब्याज की मांग वसूली अपीलों के अंतिम निस्तारण तक इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि उक्त प्रकरणों में पंजीकृत अपीलों का निस्तारण तीन माह में करे। परिणामस्वरूप प्रस्तुत चारों अपीलें आंशिक स्वीकार की जाती है। निर्णय सुनाया गया। (के.एल.जैन) सदस्य (नत्थूराम) सदस्य	